प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2022**
   प्र.इ.रि.सं..........481/22..........दिनांक..........21/12/2022
2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें. 7
   (2) अधिनियम ....–............भा.द.स.........–................धारायें............. –.........................
   (3) अधिनियम ....–..............................धारायें..........................–.....................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये...................................–...
3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ....410..........समय..........3:00 P.M..........
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– 01.09.2022 समय – पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 01.09.2022 समय 12.10 पी.एम.
4. सूचना किस्म :– टाईपशुदा
5. घटनास्थल :– शास्त्री सर्किल जोधुपर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पश्चिम, करीब 06 कि0मी0
(ब) पता :– शास्त्री सर्किल जोधुपर ।
....बीट सख्या.................–...................जरायमदेही सं...–......
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....–.............................जिला.............–..........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री प्रमोद
   (ब) पिता का नाम : श्री मोहनराम
   (स) जन्म तिथि : 23 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.:– भारतीय
   (य) पासपोर्ट सख्या...................–...जारी होने की तिथि ...–...........
   जारी होने की जगह ....–..
   (र) व्यवसाय :– खेतीबाड़ी
   (ल) पता :– निवासी गांव पनासर किशोरनगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

7.ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

श्री रामलखन मीणा पुत्र श्री मांगीलाल मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी 15/176 आरबीआई स्टाफ कॉलोनी गांधीनगर जयपुर हाल कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर।

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
   ....
9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
   ....
10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि 1,40,000/– रूपये...
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मुत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)..
12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जी,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण।

विषय :– रिश्वत राशि लेते हुए को पकडवाने बाबत।

महोदय,

विष्यान्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रमोद पुत्र श्री मोहनराम उम्र 23 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव पनासर किशोरनगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर मोबाईल नं. 9772565232 का रहने वाला हुं। मेरी माताजी श्रीमती धाई देवी पत्नी श्री मोहनराम का दिनांक 31.08.2021 में घरेलु कार्य करते हुए को बिजली का करन्ट लगने से मृत्यु हो गई थी। आर्थिक सहायता के लिए हमारे द्वारा समस्त कागजी कार्यवाही पुरी की जाकर विधुत विभाग शेरगढ मे काफी समय पूर्व जमा करवाये गये थे। मेरे द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने बाबत विधुत विभाग शेरगढ में कागजात जमा करवाने के बाद विधुत विभाग जोधपुर पुराना पावर हाउस जोधपुर से श्री आर. एल. मीणा कार्मिक अधिकारी विधुत विभाग जोधपुर मेरे गांव मे घर पर आये व मेरे से व मेरे भाईयो से पूछताछ की व वापस जाते समय मेरे से मेरे मोबाईल नंम्बर मांगे जिस पर मैने मेरे मोबाईल नं. 9772565232 उनको दिये थे। श्री आर. एल. मीणा कार्मिक अधिकारी विधुत विभाग जोधपुर ने मेरे को अपने मोबाईल नं. 9829862224 व 8949482869 दिये। मेरे व श्री आर. एल. मीणा कार्मिक अधिकारी विधुत विभाग जोधपुर के बीच मेरे आर्थिक सहायता राशि के सम्बन्ध में इन मोबाईल नम्बरो से कई बार बातचीत हुई है। दिनांक 31.08.2022 को शाम के समय श्री आर. एल. मीणा कार्मिक अधिकारी विधुत विभाग जोधपुर ने मोबाईल नं. 8949482869 से मेरे मोबाईल नं. 9772565232 पर कॉल कर मुझे बताया कि आपकी माताजी की करन्ट लगने से मृत्यु होने के कारण विधुत विभाग द्वारा आपके व आपके भाईयों के नाम से करीब 4 या 5 लाख तक का क्लेम मिल जायेगा परन्तु आपको मुझे 25 प्रतिशत कमीशन राशि देनी पडेगी। मैं मेरे जायज काम की एवज में श्री आर. एल. मीणा को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। मेरी व श्री आर. एल. मीणा के आपस में कोई लेनदेन बकाया नही है और न ही कोई आपसी रंजिश है। मैं प्रार्थना पत्र के साथ मेरे आधार कार्ड, मेरे माताजी के क्लेम से सम्बन्धित कागजात की फोटो प्रतियां सलंग्न पेश कर रहा हुं। कानुनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।

दिनांक :–01.09.2022

सही /– स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश सांखला	सही /– स्वतन्त्र गवाह श्री देवीदास	सही /– (अमराराम खोखर) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण	सही /– (ओमप्रकाश चौधरी) अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण	प्रार्थी प्रमोद पुत्र श्री मोहनराम उम्र 23 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव पनासर किशोरनगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 01.09.2022 को वक्त 12.10 पीएम. पर टाईपशुदा रिपोर्ट परिवादी श्री प्रमोद पुत्र श्री मोहनराम उम्र 23 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव पनासर किशोरनगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर मोबाईल नं. 9772565232 ने व्यक्तिगत रुप से कार्यालय में उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दरियाफ्त पर बताया कि मेरी माताजी श्रीमती धाई देवी पत्नी श्री मोहनराम का दिनांक 31.08.2021 में घरेलु कार्य करते हुए को बिजली का करन्ट लगने से मृत्यु हो गई थी। आर्थिक सहायता के लिए हमारे द्वारा समस्त कागजी कार्यवाही पुरी की जाकर विधुत विभाग शेरगढ मे काफी समय पूर्व जमा करवाये गये थे। मेरे द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने बाबत विधुत विभाग शेरगढ में कागजात जमा करवाने के बाद विधुत विभाग जोधपुर पुराना पावर हाउस जोधपुर से श्री आर. एल. मीणा कार्मिक अधिकारी विधुत विभाग जोधपुर मेरे गांव मे घर पर आये व मेरे से व मेरे भाईयो से पूछताछ की व वापस जाते समय मेरे से मेरे मोबाईल नंम्बर मांगे जिस पर मैने मेरे मोबाईल नं. 9772565232 उनको दिये थे। श्री आर. एल. मीणा कार्मिक अधिकारी विधुत विभाग जोधपुर ने मेरे को अपने मोबाईल नं. 9829862224 व 8949482869 दिये। मेरे व श्री आर. एल. मीणा कार्मिक अधिकारी विधुत विभाग जोधपुर के बीच मेरे आर्थिक सहायता राशि के सम्बन्ध में इन

मोबाईल नम्बरो से कई बार बातचीत हुई है। दिनांक 31.08.2022 को शाम के समय श्री आर. एल. मीणा कार्मिक अधिकारी विधुत विभाग जोधपुर ने मोबाईल नं. 8949482869 से मेरे मोबाईल नं. 9772565232 पर कॉल कर मुझे बताया कि आपकी माताजी की करन्ट लगने से मृत्यु होने के कारण विधुत विभाग द्वारा आपके व आपके भाईयों के नाम से करीब 4 या 5 लाख तक का क्लेम मिल जायेगा परन्तु आपको मुझे 25 प्रतिशत कमीशन राशि देनी पडेगी। मैं मेरे जायज काम की एवज में श्री आर. एल. मीणा को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। मेरी व श्री आर. एल. मीणा के आपस में कोई लेनदेन बकाया नही है और न ही कोई आपसी रंजिश है। मैं प्रार्थना पत्र के साथ मेरे आधार कार्ड, मेरे माताजी के क्लेम से सम्बन्धित कागजात की फोटो प्रतियां सलंग्न पेश कर रहा हुं। कानुनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में तलब कर अपने कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री प्रमोद से श्री अमराराम नि.पु. का परिचय करवाकर श्री प्रमोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाने पर दिनांक 01.09.2022 वक्त 12.50 पी.एम. पर मन अमराराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री प्रमोद को अपने कार्यालय कक्ष में हमरा लेकर आया व परिवादी श्री प्रमोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलग्न दस्तावेजात के सम्बन्ध में पूछताछ कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के बारे में संतुष्टी की गई। प्रार्थना पत्र अंकित तथ्य सही होना पाया गया। वक्त 01.00 पी.एम. पर कार्यालय के श्री रामकिशोर कानि. 110 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कानि. श्री रामकिशोर से परिवादी श्री प्रमोद का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकालकर परिवादी श्री प्रमोद एवं श्री रामकिशोर कानि. को डिजिटल वार्यस रिकार्डर को चलाना व बंद करना समझाया गया। वक्त 2. 00 पी.एम. पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा उसके अन्दर मैमोरी कार्ड सहित श्री रामकिशोर कानि. 110 को सुपर्द कर परिवादी श्री प्रमोद व आरोपी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु परिवादी श्री प्रमोद एवं श्री रामकिशोर कानि. को कार्यालय से परिवादी के साथ रिश्वति राशि मांग सत्यापन हेतु शास्त्री सर्किल जोधपुर के लिए रवाना किया। साथ ही कानि. श्री रामकिशोर को हिदायत दी गई कि आप शास्त्री सर्किल जोधपुर पहुंच कर डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री प्रमोद को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। वक्त 08.20 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. 110 एवं परिवादी श्री प्रमोद कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा श्री रामकिशोर कानि. ने कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि "मैं व परिवादी कार्यालय मेरी निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर शास्त्री सर्किल जोधपुर के पास पहुंचकर कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसके अन्दर मैमोरी कार्ड हैं को चालु कर परिवादी श्री प्रमोद को सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु शास्त्री सर्किल जोधपुर के लिए रवाना किया तथा मैं वही पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़ा रहा। काफी समय पश्चात परिवादी श्री प्रमोद मेरे पास आया जिस पर मैंने डिजीटल वाईस रिकार्डर अपने पास लेकर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरे व श्री आर.एल. मीणा कार्मिक अधिकारी पुराना पावर हाउस जोधपुर के मध्य पैसो के लेनदेन सम्बन्धी वार्ता हो गई हैं जिस पर मैं व परिवादी शास्त्री सर्किल जोधपुर से रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आये हैं। तत्पश्चात मन अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री प्रमोद से रिश्वति राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में वार्ता करने पर बताया कि श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा मेरी माताजी की मृत्यु पर मिलने वाले क्लेम की राशि पास करवाने की एवज में पूर्व में हुई वार्ता अनुसार पॉच लाख का 25 प्रतिशत कमीशन व 15 हजार अलग से कुल एक लाख चालीस हजार रूपये की मांग की हैं तथा मेरे को यह भी कहा हैं कि उक्त राशि की व्यवस्था कर दिनांक 06.09.2022 को वही पर शास्त्री सर्किल जोधपुर पर ही बुलाया है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर रिकार्डिंग वार्ता सुनी गई तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनो की ताईद हुई तथा आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा रिश्वती राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर स्वीच ऑफ कर सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास सुरक्षित रखा तथा आईन्दा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री प्रमोद को रिश्वति राशि की व्यवस्था के बारे में पुछने पर परिवादी श्री प्रमोद ने बताया कि मेरे पास इतनी बडी रकम नही है मैं इतनी रिश्वती राशि की व्यवस्था नही कर सकता

हुं मैं केवल 26,000/–रू. की ही व्यवस्था कर पाउंगा एवं परिवादी ने बताया कि श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर मेरे से कम राशि नही लेकर पूरी राशि प्राप्त करने पर अडा हुआ है मेरे द्वारा कम राशि देने पर वह किसी भी कीमत पर कम राशि प्राप्त नही करेगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकरियो को हालात निवेदन किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री प्रमोद को दिनांक 06.09.2022 को 26,000/–रू. की व्यवस्था कर वक्त 9.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 05.09.2022 को वक्त 1.00 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार परिवादी के बताये अनुसार आरोपी द्वारा मांगी जाने वाली रिश्वती राशि 1,40,000/– रू. की व्यवस्था नही होने पर भारतीय मनोरंजन बैंक (डमी करेंसी) की व्यवस्था हेतु लक्की बुक डिपेट मधुवन हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से भारतीय मनोरंजन बैंक (डमी करेंसी) के 500–500 रू. के 228 नोट (कुपन) कुल 1,14000/– रू. की खरीद कर बिल प्राप्त किया तथा आइन्दा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिती में उक्त नोट (कुपन) का फर्द पेशी में अंकन करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 06.09.2022 को वक्त 09.45 ए.एम. पर निरीक्षक पुलिस द्वारा गोपनीय कार्यवाही में दो स्वंतत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान मुख्य वन संरक्षक जोधपुर के नाम तहरीर जारी की गई। वक्त 09.50 ए.एम. पर पुर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री प्रमोद कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी को मन् निरीक्षक द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 26000/–रू. की व्यवस्था के बारे में पूछने पर बताया कि मै 26000/–रू. की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हुं। वक्त 9.55 ए.एम. पर गवाहान के उपस्थित आने पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहान को अपना परिचय दिया जाकर उनका परिचय पुछने पर दोनो गवाहान ने बारी–बारी से अपना परिचय श्री मुकेश सांखला पुत्र श्री स्व. श्री लछीराम उम्र 20 जाति माली निवासी उम्मेद सागर बॉध के पास भादरवा बेरा चौखा हाल कनिष्ठ सहायक, संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर मोबाईल नम्बर 6375642120 एवं श्री देवीदास पुत्र स्व. श्री सोहनदास जी उम्र 19 साल जाति वैष्णव निवासी गांव रतकुडिया पुलिस थाना पिपाड सिटी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक, संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर मोबाईल नम्बर 8306493421 के रूप में दिया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। वक्त 10.15 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री प्रमोद का दोनो गवाहान से आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री प्रमोद द्वारा पेश रिपोर्ट मय दस्तावेज का दोनो गवाहान को अवलोकन करवाया जाकर आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर एवं परिवादी श्री प्रमोद के मध्य दिनांक 01.09.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के संबंध मे हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिर्कार्ड हैं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा से निकाल कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये। दोनो गवाहान द्वारा परिवादी श्री प्रमोद से परिवाद में अंकित तथ्यो व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे पूछताछ कर संतुष्ट होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं संलग्न दस्तावेज पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वीच ऑफ कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा तथा दोनो गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री प्रमोद से आरोपी द्वारा 1,40,000/–रू. रिश्वती राशि की मांग की गई है परन्तु परिवादी द्वारा केवल 26000/–रू. की ही व्यवस्था होने तथा शेष राशि 1,14000/–रू.की व्यवस्था करने में असर्मथतता जाहिर करने पर 1,14000/–रू. भारतीय मनोरंजन बैंक (डमी करेंसी) कुपन की बाजार से खरीद कर व्यवस्था की गई है। वक्त 10.50 ए.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के कहा गया तो परिवादी श्री प्रमोद ने अपने पास रखे 26,000/–रू 500–500 रू. के कुल 52 नोट प्रस्तुत किये। उक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी मे अंकित किये गये। परीवादी द्वारा दिये गये सभी नोटो पर एवं 1,14000/–रू. भारतीय मनोरंजन बैंक (डमी करेंसी) कुपन पर कार्यालय के मालखाना से श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं भारतीय मनोरंजन बैंक (डमी करेंसी) कुपन के नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर चलित भारतीय मुद्रा के नोटो को 1,14000/– भारतीय मनोरंजन बैंक (डमी करेंसी) कुपन के उपर ओर नीचे रखवाये गये तथा उक्त भारतीय मनोरंजन बैंक (डमी करेंसी) कुपन के

नोटो की गोपनीयता रखने हेतु एक साफ प्लास्टिक की पोलिथीन मंगवाई जाकर उक्त पोलीथीन के अन्दर व बाहर भी श्री ताराचन्द हैड. कानि. नम्बर 112 से हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटो के बंडल को उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त पोलीथीन के अन्दर रखवाये जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री मुकेश सांखला से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोटो का पोलीथीन पैकेट परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. से रखवाये गये तथा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपीगण व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन–देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत की। श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिकिया को समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत के काम ली गई ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित कार्यालय हाजा की अलमारी मे रखवाकर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को कार्यालय मे रहने की हिदायत की गई एवं जिस पुराने अखबार पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उस अखबार को रूबरू गवाहान जलाया जाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री/राशि नही रहने दी गई अपने–अपने विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल पास रहने दिये गये। समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 12.20 पी.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस,श्रीमती अनु चौधरी नि.पु., दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मुकेश सांखला, श्री देवीदास, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री संजय कानि 587, श्री रामकिशोर कानि 110, श्री भीमसिंह कानि. एवं परिवादी श्री प्रमोद के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि.638 एवं ब्यूरो जाब्ते की निजी मोटरसाईकिलो से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से आरोपी द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान कहे अनुसार शास्त्री सर्कल जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

दिनांक 06.09.2022 को ही वक्त 12.40 पी.एम. कार्यालय से रवाना शुदा मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, हमरायान के शास्त्री सर्कल जोधपुर पहुँच कर सरकारी वाहन को रोड के साईड मे गोपनीय स्थान पर खडा करवा कर ब्यूरो जाब्ते की मोटसाईकिलो सहित अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी के आने का ईन्तजार में खडे रहे जिसके कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति मोटसाईकिल से शास्त्री सर्कल पर आया जिसको परीवादी ने दुर से ही पहचान लिया तथा मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि वो सामने से मोटरसाईकिल पर आ रहे है वो ही श्री आर.एल. मीणा है जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने पास रखा कार्यालय का डिटजील वाईस रिकार्डर निकाल कर श्री रामकिशोर कानि. से चालु करवा कर परिवादी को सुपर्द करवाया जाकर परीवादी को आरोपी की तरफ रवाना किया तथा मन निरीक्षक पुलिस हमरा ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के गोपनीय ईशारे के ईन्तजार में खडे रहे। आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर शास्त्री सर्कल पर बने सरस दुध के डेयरी बुथ के पास आकर रूका तथा परीवादी को अपनी मोटरसाईकिल पर बैठा कर हनुवन्त स्कूल के आस पास की कॉलोनीयो में घुमाता रहा जिस पर मन निरीक्षक पुलिस एवं ब्यूरो जाब्ता द्वारा आरोपी व परिवादी का सरकारी वाहन एवं निजी मोटरसाईकिलो से अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पिछा किया गया काफी समय तक आरोपी परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल पर घुमाता रहा अन्त में वापस शास्त्री सर्कल होते हुए मथुरादास माथुर अस्पताल के सामने परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल से नीचे उतार कर जोधपुर शहर की तरफ रवाना हो गया। मन निरीक्षक पुलिस परिवादी के पास पहुँच कर हमरा वाहन में बैठा कर परीवादी को सुपर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर स्विच आफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा आईनदा फर्द टांस्क्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया जाकर वहां से शास्त्री सर्कल की तरफ रवाना हुआ तथा परीवादी ने मन निरीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहान एवं ब्युरो जाब्ता के बताया कि श्री आर. एल. मीणा ने मेरे को जाते ही पैसो के बारे में पुछा तो

मैने कहा कि पैसे मै साथ लेकर आया हुॅं जिस पर उन्होने कहा कि मै तेरा काम कर दुंगा, पैसे बाद में ले लुंगा ओर मै जयपुर जा रहा हुं तुम भी मेरे साथ जयपुर चलो तुम्हारा काम जल्दी हो जायेगा जिस पर मैने कहा कि मै जयपुर नहीं चल सकता मेरे घर पर काम है आप ही जाकर आ जाओ जिस पर श्री आर. एल.मीणा ने कहा कि मै तेरा काम करवा दुंगा तथा पैसे अभी तेरे पास ही रहने दे मै अपने आप ले लुंगा। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि आईन्दा लेने हेतु परीवादी को कहकर वापस चला जाने से आज रिश्वती राशि का आदान प्रदान होने की कोई संभावना नहीं होने से मन् निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहन के सरकारी वाहन एवं ब्यूरो जाब्ता की निजी मोटसाईकिलो से शास्त्री सर्कल जोधपुर से ब्यूरो चौकी जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना हुआ। वक्तः 02.40 पी.एम. पर मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, श्रीमती अनु चौधरी नि.पु., दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री मुकेश सांखला, श्री देवीदास, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री संजय कानि 587, श्री रामकिशोर कानि 110, श्री भीमसिंह कानि. एवं परिवादी श्री प्रमोद के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि.638 एवं ब्यूरो जाब्ते की निजी मोटरसाईकिलो से शास्त्री सर्कल जोधपुर से रवाना शुदा एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पर उपस्थित आये। तत्पश्चात परीवादी श्री प्रमोद के पहनी हुई पैन्ट के सामने की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि का पोलीथीन युक्त पैकेट गवाह श्री मुकेश सांखला से निकलवाया जाकर एक पुराने अखबार में लपेटवा कर कार्यालय के अलमारी के डबल लॉक में रखवा कर डबल लॉक एवं अलमारी के ताला लगवाया जाकर चाबी मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखी गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परीवादी को अब तक की हुई कार्यवाही की गोपनीयता रखने एवं आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त सुचित करने की आवश्यक हिदायत कर रवाना किया साथ ही दोनों गवाहान को भी गोपनीयता बरतने एवं जब भी गोपनीय कार्यवाही हेतु आवश्यकता होने पर जरिये फोन आपको सुचित किया जाने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। अब तक की कार्यवाही से उच्च अफसरान को हालात निवेदन किये जाकर रहबरी हासिल की।

दिनांक 03.11.2022 को वक्त 11.00 एएम पर परिवादी श्री प्रमोद कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर मन् निरीक्षक के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि श्री आर.एल.मीणा कार्मिक अधिकारी मेरे से दिनांक 06.09.2022 के लेकर आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई सम्पर्क नही किया है तथा मेरे द्वारा उनके मोबाईल नम्बर पर कई बार कॉल कर वार्ता करनी चाही परन्तु एक बार भी मेरा फोन रिसिव नही किया शायद मेरे मोबाईल नम्बर उन्होने ब्लेक लिस्ट मे डाल दिये है। शायद श्री आर.एल.मीणा को मेरे पर किसी प्रकार का शक हो गया हैं। अब मेरे से वो किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त नही करेंगे। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी से अब रिश्वती राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में सम्पर्क नहीं करने पर रिश्वती राशि का लेन–देन होना सम्भव नहीं होने पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन किये जाकर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। वक्त 11.30 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही बकाया नही होने से प्रकरण के पूर्व के स्वतंत्र गवाहान श्री मुकेश सांखला, श्री देवीदास की तलबी हेतु जरिये मोबाईल सुचित कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। वक्त 2.50 पीएम पर पाबन्द शुदा गवाह श्री मुकेश सांखला कनिष्ठ सहायक, संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर एवं श्री देवीदास कनिष्ठ सहायक, संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिस पर कार्यालय हाजा में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री प्रमोद एवं दोनो गवाहान का पुनः परिचय करवाया जाकर गवाहान को कार्यालय हाजा पर बुलाने के मतन्व्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पढाया गया। वक्त 03.10 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के रूबरू कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉयस रिकार्डर अलमारी से सुरक्षित निकालकर दिनांक 01.09.2022 को आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर एवं परिवादी श्री प्रमोद के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो उक्त रिकार्डर में रिकार्ड करवाई थी उक्त वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादी के कार्यालय के कानि. श्री रामकिशोर 110 से कॉपी करवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड पुनः मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा एवं कॉपी की गई रिकार्ड वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादी के शब्द–बशब्द सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार करना शुरू किया जाकर मुर्तिब की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता में आवाज की

पहचान परिवादी श्री प्रमोद द्वारा एक आवाज स्वयं की एवं दुसरी आवाज आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर की होना बताया। उक्त वार्ता जो डिजिटल टेप रिकार्डर रिकार्ड है जिसको कार्यालय के कम्प्यूटर मे कनेक्ट करके कम्पयूटर की मदद से दो सीडीयां तैयार कर एक सीडी को मूल मानकर एक कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर सील्ड मोहर किया जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सीडी को डब सीडी मानकर खुली हालत रखी जाकर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 06.30 पीएम पर दोनो स्वतत्र गवाहान श्री मुकेश सांखला, श्री देवीदास एवं परिवादी श्री प्रमोद को आईन्दा दिनांक 04.11.2022 को कार्यालय हाजा में उपस्थित आने बाबत निर्देशित किया जाकर रूख्स्त किया गया।

दिनांक 04.11.2022 को वक्त 10.15.एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश सांखला, श्री देवीदास एवं परिवादी श्री प्रमोद कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 10.25.एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के रूबरू कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉयस रिकार्डर अलमारी से सुरक्षित निकालकर दिनांक 06.09.2022 को आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर एवं परिवादी श्री प्रमोद के मध्य रिश्वती राशि लेन देन से पूर्व हुई वार्ता जो कार्यालय के वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करवाई थी उक्त वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादी के कार्यालय के कम्प्युटर में कार्यालय के कानि. श्री रामकिशोर 110 से कॉपी करवाकर रिकार्ड वार्ता को शब्द–शब्द सुन–सुन कर फर्द टांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता अलग से तैयार करना शुरू किया जाकर मुर्तिब की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता में आवाज की पहचान परिवादी श्री प्रमोद द्वारा एक आवाज स्वयं की एक आवाज आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर की होना बताया। उक्त वार्ता जो डजिटल टेप रिकार्डर रिकार्ड है जिसको कार्यालय के कम्प्यूटर मे कनेक्ट करके कम्पयूटर की मदद से दो सीडीयां तैयार कर एक सीडी को मूल मानकर एक कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर सील्ड मोहर किया जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं दुसरी सीडी को डब सीडी मानकर खुली हालत रखी जाकर जमा मालखाना करववाई गई। वक्त 3.15 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के रूबरू परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिश्वती राशि 26,000/–रू. भारतीय चलित मुद्रा एवं 1,14000/भारतीय मनोरंजन बैंक (डमी करेंसी) कुपन का बण्डल फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त कार्यालय हाजा की अलमारी के डबल लॉक में सुरक्षित रखवाये जाकर चाबी अपने पास सुरक्षित रखी थी। उक्त अलमारी का एवं डबल लॉक का ताला खुलवाया जाकर रिश्वती राशि के नोटो के बण्डल की प्लास्टिक की थैली को सुरक्षित निकाल कर रूबरू गवाहान के उक्त थैली को खोला जाकर नोटो का बण्डल जिसमें 26000/–रू. भारतीय चलित मुद्रा के नोट को 1,14000/भारतीय मनोरंजन बैंक (डमी करेंसी) कुपन मे से अलग करवाये जाकर 26000/–रू. भारतीय चलित मुद्रा को साफ झाटक कर परिवादी श्री प्रमोद को रूबरू गवाहान सुपुर्द कर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद गवाहान एवं परिवादी को रूखस्त किया गया।

उक्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा परिवादी श्री प्रमोद पुत्र श्री मोहनराम उम्र 23 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव पनासर किशोरनगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर की माताजी के बिजली के करन्ट से देहान्त हो जाने से परिवादी एवं उसके भाईयों के नाम से आर्थिक सहायता राशि 4–5 लाख रू. दिलाने के लिए कमीशन के रूप में कुल 1,40,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करने पर दिनांक 01.09.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने पर आरोपी द्वारा रिश्वती राशि की मांग करना पाया जाने पर दिनांक 06.09.2022 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही को आयोजन किया जाकर आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा बताये अनुसार शास्त्री सर्किल जोधपुर पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु पहुंचे जहां पर आरोपी के उपस्थित आने पर परिवादी को रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वती राशि मय रिकार्डर के परिवादी को आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर के पास भेजा गया था परन्तु आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त नही कर अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर घुमाता रहा तथा इसी दौरान परिवादी से आरोपी ने रिश्वती राशि लेकर आने बाबत पुछा जिस पर परिवादी ने राशि साथ लेकर आने बाबत कहा परन्तु आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर को किसी प्रकार का शक हो जाने से वक्त कार्यवाही

आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त नही की तथा बाद में भी शक हो जाने से परिवादी से आरोपी द्वारा किसी प्रकार का सम्पर्क नही किया।

आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा परिवादी श्री प्रमोद पुत्र श्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी गांव पनासर किशोरनगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर से दौराने मांग सत्यापन रिश्वती राशि की मांग करना तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही रिश्वती राशि के बारे में परिवादी से रिश्वती राशि साथ लेकर आने के सम्बन्ध में वार्ता करना आदि आरोपी श्री रामलखन मीणा कार्मिक अधिकारी जिला वृत जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई–मेल प्रेषित की जा रही है।

(अमरा राम खोखर)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमराराम खोखर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री रामलखन मीणा पुत्र श्री मांगीलाल मीणा, हाल कार्मिक अधिकारी, जिला वृत्त जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 481/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21/12/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कमांक 4099-4102 दिनांक 21.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. सचिव(प्रशासन)न्यू पावर हाउस,जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

21/12/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर